न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट–मेजा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–251/2014 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1–श्री गोपाल पिता भंवरलाल महाजन, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल

2–श्री श्यामलाल पिता भंवरलाल महाजन, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल

3–श्री ओमप्रकाश पिता भंवरलाल महाजन, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) —————वादीगण

बनाम

1–श्री मांगू पिता लालू गाडरी, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा ———प्रतिवादीगण

————

वादीगण की ओर से —— एडवोकेट और प्रतिवादीगण की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 13.5.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस प़र प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल में स्थित हाल आराजी नम्बर 1166 रकबा 10 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। बेदखल इस शर्त पर किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात का नाप–चौप करने पर वादीगण की भूमि प्रतिवादी के कब्जे में हो तो बेदखल कर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देबीसिंह रावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 13.5.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल